

2021/33

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

कार्यना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
8/21	136 U.R Act	नापिया	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
दीक्षीबाई	बनाम	सरभार	

वकील :- N.L.C. एडवोकेट

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

22/7/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 136 U.R Act विरुद्ध अप्रार्थी गण के इशतियापोलक में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिलता का अवलोकन किया, प्रमाण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थी गण को जरिये समस्त तलक पर पत्रावली दिनांक 8/3/21 को पेश हो।

28/4/21

आज न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 24/6/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

6/2/21

कोरोना संक्रमण
आज न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 6/1/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

6/7/21

आज न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 24/11/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)


प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

18/11/21

पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के अंतर्गत नफला पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा नफालेख में भूराशिक अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रकरणा पेश किया गया जिसकी रिपोर्ट प्रशासन गाँव के संग अभियान के दौरान ली गई। तहसीलदार इटावा अपनी रिपोर्ट में बताया कि, प्रार्थी की राबत रिपोर्ट व मजके आर में जीन्व नाले पर जाया गई - आर नफला की पमाकंशी 20273-2076 के खता संख्या 160 व 161 में नंदराम दर्ल रिपोर्ट है तथा खता सं. 20 में प्रार्थी का नाम नंदलाल शं गोधू दर्ल है। प्रार्थी द्वारा नंदलाल पुत्र गोधू जलत नाम होना बताया है। तथा नंदराम फात होना अज्ञात बताया है जिसका फाती उंतकाल खता सं. 160 व 161 में सुल-पुष्प है किंतु खता संख्या 20 में जलत नाम नंदलाल दर्ल होने से फाती उंतकाल सुजनी शेष है। मजके आर जीन्व नाले व दस्तवेज के साथ ही मृतक का एडी नाम नंदराम शं गोधू राफ है भूराशिक पत्र भी उक्त एडी नाम से है।

धैतः एडी नाम नंदलाल के दफ्तर पर नंदराम दर्ल करने की सुझाव की जाती है।

भूराशिक तहसीलदार इटावा, परबरी व भूराशिक निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तवेज के आधार पर प्रार्थी का नाम नंदलाल के स्थान पर नंदराम दर्ल करने के आदेश तहसीलदार इटावा को दिये जाते हैं। तदनुसार फालतु सुनिश्चित करें। आदेश पत्रक से जारी है। पत्रावली प्रेशल शुमार होकर दाखिले दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज.)

“प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

छबड़ा जिला बारां (राज0)

-: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बापवा व भू.अ.नि. बापवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां/नायब तहसीलदार बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बापवा तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 20 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	बापवा	20	जन्मदत्त पुत्र नाथू	नन्दराम पुत्र नाथू



म
 (नजीब-निकार)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा, जिला बारां (राज0)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/किस बापवा /232

दिनांक 18.11.2021

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार छबड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री दीपक नन्दराम पुत्र नाथू बापवा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

म
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा, जिला बारां (राज0)